न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस.सी. / एस.टी.(पी.ए.) एक्ट, सुलतानपुर।

उपस्थितः राकेश पाण्डेय {उच्चतर न्यायिक सेवा}

(जे0ओ0 कोड नम्बर 2397)

UPST010020022026

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 637 / 2026

साहबजादे सुत पीर मोहम्मद निवासी म0नं0 400 / 10क सिरवारा रोड,नया नगर थाना कोतवाली नगर जिला सुलतानपुर। ....प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

राज्य उ0प्र0 ....विपक्षी / अभियोगी।

मुकदमा अपराध संख्या 112 / 2026
धारा–115(2),352,351(3),109 3(5) बी एन एस
व धारा 3(2)5 एस0सी0 / एस0टी0 ऐक्ट
थाना–कोतवाली नगर जिला सुलतानपुर।

दिनांक 16.03.2026

1. प्रार्थी / अभियुक्त साहबजादे की ओर से उपरोक्त प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में पैरोकार शबाना एजाज का शपथ पत्र शामिल पत्रावली है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटनाक्रम इस प्रकार है कि वादी मुकदमा सूरज जो अनुसूचित जाति से है, के भाई रवि को दिनांक 17.02.2026 को दोपहर करीब 12 बजे अरसू उर्फ साहिल, अयाज, आयसन, साहिल, साहबजादे, अरबाज, फौजान, अलबक्श, गुडडू व अन्य चार पॉच लोग अज्ञात एक राय मत होकर हॉकी डण्ड व लोहे की राड से लैस होकर जान से मारने की उददेश्य से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए साले भंगी साले मादरचोद तुम लोगों को आज जान से मार डालेगे, कहकर हमला कर दिया। इसमें वादी मुकदमा व उसके भाई को गम्भीर चोटें आयीं तथा हल्ला गुहार सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हो गये । इतने में उक्त लोगों को वादी के भाई करन, गोलू, शुभम, सरजुन ने मौके पर पहुंच कर मारपीट करने से मना किया तो उक्त अभियुक्तगण मोके पर आये लोगों पर जान से मारने की नियत से हाकी व लोहे की राड से हमला कर दिया जिससे शुभम मौके पर गिरकर बेहोश हो जाने पर अभियुक्तगण ने मरा जानकर मौके पर ऐलानियॉ धमकी दिया कि कोई हमारे खिलाफ दरख्वास्त दिया तो उसको जान से मार दिया जायेगा । मुहल्लेवासी डरे व सहमें हैं।

3. प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना प्रस्तुत कर कथन किया गया है प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है तथा कथित मामले में पार्टीबन्दीकी रंजिश के कारण झूठा हैरान व परेशान करने के कारण फंसाया गया है। प्रार्थी / अभियुक्त का कोई दोष सिद्ध आपराधिक इतिहास नहीं है। वर्तमान चोटहिलों की चोटें साधारण प्रकृति की हैं एवं शरीर के किसी नाजुक हिस्से पर नही है। नेहा सिंह पुत्र राणा सिंह निवासी गोलावारा सरैया थाना कोतवाली देहात जिला सुलतानपुर पिछले छः माह से प्रार्थी के भाई के घर में कमरा किराये पर लेकर कोचिंग की पढ़ाई कर रही है जिस पर मुहल्ले के रवि कुमार सुत प्यारेलाल बुरी नजर रखते हैं तथा आये दिन आते जाते रास्ते में छींटाकसी करते हैं। दिनांक 16.02.2026 को रवि कुमार प्रार्थी / अभियुक्त के भाई के घर में कूद आये तथा नेहासिंह से

छेड़छाड करते हुए बलात्कार करने का प्रयास करनेलगे गोहार पर रवि कुमार भाग गया। दिनांक 17.02.2026 को प्रार्थी/अभियुक्त की भाभी रवि कुमार के घर शिकायत लेकर गये तो रवि कुमार अपने अन्य सहयोगियों के साथ प्रार्थी/अभियुक्त के दरवाजे पर आ गालिया देते हुए नेहा सिंह को घर से निकालने व रवि कुमार के साथ शादी करने की धमकी देते हुए प्रार्थी/अभियुक्त उसके भाई व भाभी व भतीजे को मारपीट कर चोटें पहुंचायी नेहा के हाथ मे फैक्चर पाया गया है। प्रार्थी/ अभियुक्त की रिपोर्ट न लिखे जाने पर उसके द्वारा न्यायालय में धारा 173(4) बी एन एस एसके अन्तर्गत प्रार्थनापत्र दिया गया है जो विचाराधीन है। प्रस्तुत मामले में किसी भी अभियुक्त के हाथ में स्पष्ट हथियार का उल्लेख नही किया गया है। चोटहिल शुभम के बेहोश होने के आधार धारा 109 बी एन एस का मामला बनाया गया है। मौखिक साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से भिन्न है। इन्हीं कथनों आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) की ओर से जमानत का विरोध किया गया और जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गई।

6. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष (फौजदारी) लोक अभियोजक के तर्कों को सुना व पत्रावली का परिशीलन किया गया।

7. प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त, अन्य सहअभियुक्त के साथ नामित है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के परिजनां व उनके पक्ष के लोगों को मारपीटकर जान लेवा हमा कर चोट पहुंचाने तथा जान माल की धमकी का अभियोग है। कथित घटना में कुल चार व्यक्तियों को चोटें आना कहा गया है। अन्वेषण के दौरान विवेचक द्वारा चोटहिल की मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त कर पत्रावली में दाखिल की गयी है। एक्स–रे रिपोर्ट तथा चिकित्सक का स्पष्ट बयान न होने के आधार पर विवेचक को चार दिन का अवसर देते हुए पत्रावली आज के लिए नियत की गयी थी। आज पत्रावली की सुनवाई के दौरान विद्वान विशेष लोक अभियोजक की ओर से यह कथन किया गया कि विवेचक ने चोटहिलों का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले चिकित्सक डाक्टर सुप्रीत वर्मा का बयान लिया है जिसमें चिकित्सक ने मजरूब शुभम की चोट नाजुक बताते हुए के जी एम यू रेफर किया जाना कहा है।

मजरूब शुभम घटना वाले दिन ही के जी एम यू लखनऊ इलाज के लिए रेफर किया गया था लेकिन शुभम को कब भर्ती कराया गया और वहाॅ क्या इलाज हुआ । इस बिन्दु पर विवेचक ने कोई साक्ष्य एकत्र नही किया। इसके अतिरिक्त घटना वाले दिन ही शुभम का एक्स–रे कराया गया था लेकिन एक माह व्यतीत हो जाने के पश्चात भी विवेचक द्वारा कोई एक्स–रे प्लेट व एक्स–रे रिपोर्ट दाखिल नही की गयी है। अभियोजन की ओर से उक्त एक्स–रे रिपोर्ट दाखिल किये जाने हेतु अतिरिक्त समय लिये के बावजूद भी आज सुनवाई के अवसर पर ऐसी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गयी । प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह कथन किया गया है कि वादीपक्ष के लोगों द्वारा भी उनके पक्ष के लोगों के साथ मारपीट की गयी थी जिसमें उनके पक्ष के लोगों को भी चोटें आयी थी। अभियुक्त पक्ष के लोगों को आयी चोटों को दौरान बहस प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पत्रावली में दाखिल की गयी हैं। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास न होना स्वीकार किया गया है। अभियुक्त एक माह से न्यायिक कारागार में निरूद्ध है। अतः प्रकरण के उपरोक्त कथनों एवं परिस्थितियों में वाद के गुण–दोष पर अन्य कोई टिप्पणी किए बगैर प्रार्थी/ अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में वाद के गुण–दोष पर अन्य कोई टिप्पणी किये बगैर, प्रार्थी / अभियुक्त उपरोक्त का जमानत पर छोड़ा जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है। तदनुसार उक्त जमानत प्रार्थनापत्र शर्तों के अधीन स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी / अभियुक्त साहबजादे द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 75,000 / –रूपये की एक प्रतिभू तथा समान धनराशि के निजी बंधपत्र न्यायालय में दाखिल करने पर निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये–

1. प्रार्थी / अभियुक्त अध्याय 33 दण्ड प्रक्रिया संहिता / 35 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय में हाजिर होगा।
2. प्रार्थी / अभियुक्त उस अपराध जैसा, जिसको करने का उन पर अभियोग या संदेह है, कोई अपराध नहीं करेंगा।
3. प्रार्थी / अभियुक्त उस मामलें के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नष्ट नहीं करेगा।
4. प्रार्थी / अभियुक्त नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा और विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

ह0

(स्टेनो रशीद अख्तर सिददीकी)

(राकेश पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश,
एस0सी0 / एस0टी0(पी0ए0) एक्ट,
सुलतानपुर।